झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–37 वर्ष 2017

नारायण चन्द्र साहा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रतिमा साहा .... विपक्षीगण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए :– श्रीमती नीतू सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– ए0पी0पी0।

02/25.07.2017 पक्षों को सुना।

यह आवेदन कुटुम्ब न्यायालय, साहिबगंज के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.11.2016 को भरण–पोषण वाद संख्या 109/2012 में पारित निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा और जिसके तहत विपक्षी संख्या–2 द्वारा दायर याचिका को अनुज्ञात किया गया है और याचिकाकर्ता को, विपक्षी संख्या–2 को 4,000/– रूपये का मासिक भरण–पोषण भत्ता, भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी पक्ष संख्या–2 सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता अपने साथ विपक्षी पक्ष संख्या–2 को रखने के लिए तैयार है। वह आगे प्रस्तुत करती है कि याची और विपक्षी पक्ष

संख्या–2 के बीच कथित विवाह से दो बेटियों का जन्म हुआ था और दोनों की विवाह योग्य आयु है और इसलिए उनके बच्चे को मां की आवश्यकता है जिसके कारण याची ने यह प्रतिवाद किया है कि वह अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है ताकि वह उसके साथ रह सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत निचली अदालत के समक्ष की गई कार्यवाही में यह दलील दी गई है कि चूंकि विपक्षी पक्ष सं0–2 सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी, जिसके कारण वह अलग रहने लगी।

चूंकि, विवाह पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करे, हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जो अभिवाक यहाँ दिया गया है, वह अधीनस्थ अदालत के समक्ष पहले से ही उपलब्ध था और अधीनस्थ अदालत द्वारा आक्षेपित निर्णय देते समय ऐसे तथ्यों पर उचित रूप से विचार किया गया है, जिसके द्वारा अधीनस्थ अदालत ने याचिकाकर्ता की आय के उचित मूल्यांकन के बाद विरोधी पक्ष संख्या–2 को 4,000/– रूपये प्रति माह का मासिक भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया है।

मैं इस आवेदन को सुनने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, जो तद्नुसार है, बर्खास्त कर दिया गया है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)